(9)

(20)

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

निग/3727/II/15

अखयराज लोधी तनय निर्भय लोधी
निवासी ग्राम पठारी तह. निवाड़ी जिला टीकमगढ़ (म०प्र०) .....आवेदक

//विरूद्ध//

म०प्र० शासन .....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत् धारा–50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक माननीय उच्च न्यायालय के रिटपिटीशन क. 17659/2015 आदेश दिनांक 03.11.15 के परिपालन में यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करते हैः–

1. यह कि, प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक को ग्राम पठारी की भूमि खसरा नं. 5/1 रकवा 0.700 हे0 का पट्टा विचारण न्यायालय तहसीलदार ओरछा के प्र.क. 342/बी–121/2000–01 में पारित आदेश दिनांक 20.12.01 में दखल रहित अधिनियम के तहत प्रदान किया गया था अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में स्वमेव निगरानी की कार्यवाही करते हुए आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना जारी पट्टा निरस्त किए जाने से अपील अनुविभागीय अधिकारी अपील अपर आयुक्त सागर के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अनुपस्थिति में निरस्त की गई जिसे पुनः नंबर पर कायम किए जाने बावत् प्रस्तुत आवेदन निरस्त किए जाने पर और उसकी निगरानी माननीय राजस्व मंडल द्वारा दिनांक 26.09.13 को आग्रह किए जाने से माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार रिटपिटीशन कमांक 17659/2015 दिनांक 03.11.15 के परिपालन में विधिवत रूप से प्रस्तुत की जा रही है।

2. यह कि आलोच्य आदेश प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं व्याप्त कानूनी सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त किए जाने योग्य है।

3. यह कि अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया कि आवेदक भूमिहीन एवं असहाय, ग्रामीण एवं अनपढ़ उसकी जीविका का मुख्य साधन कृषि ही है उसे भूमिहीन होने और विवादित भूमि पर कब्जा होने के आधार पर ही दखल रहित अधिनियम के तहत ही पट्टा जारी किया गया था जिसमें उसने उसे काफी श्रमधन चर्ख कर उसे उन्नत बनाया गया उस पर लोन लेकर कृषि कार्य कर अपने परिवार के साथ जीवनयापन करता चला आ रहा है वर्तमान में भी वह विवादित भूमि पर काबिज चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि को इतने लंबे अंतराल पश्चात स्वमेव निगरानी के शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रस्तावित कार्यवाही एवं पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

(27

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3727/दो/2016 जिला–टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
8–2–2017	यह निगरानी आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत रिट याचिका नं. 17659/2015 में पारित आदेश दिनांक 03.11.2015 के परिपालन मे म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक को ग्राम पठारी की भूमि खसरा नं. 5/1 रकवा 0.700 है0 का पट्टा विचारण न्यायालय तहसीलदार ओरछा के प्रकरण क्रमांक 342/बी–121/2000–01 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2001 में दखल रहित अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान किया गया था। जिसे अपर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा स्वमेव निगरानी में लेकर पारित आदेश दिनांक 31.01.2007 को नायब तहसीलदार ओरछा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2001 निरस्त किया जाकर भूमि को शासकीय दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया। इस आदेश के विरूद्व आवेदक द्वारा निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर को प्रस्तुत की गयीं। जो आदेश दिनांक 28.03. 2012 से निरस्त की गयीं। तत्पश्चात् इस न्यायालय में निगरानी प्रकरण क्रमांक 1599/दो/2012 प्रस्तुत की गयीं थीं। जो पारित आदेश दिनांक 26.09.2013 से निरस्त की गयीं।	

जिसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष रिट याचिका क्रमांक 17659/2015 प्रस्तुत की गयी थी। जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.11.2015 से स्वीकार कि जाकर इस न्यायालय को निर्देशित किया गया है। जिसके पालन में वर्तमान पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा आवेदक की ओर से उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा विधिवत् प्रक्रिया का पालन किये बिना लम्बे समय पश्चात् स्वमेव पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग कर आदेश पारित किया है। जो माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा 1998 (1) एम.पी. बीकली नोटस 26 तथा 2010 आर.एन 409 एवं 2013 आर.एन. 8 में जो न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किये है। उसपर विचार किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है इसलिये उपरोक्त आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में निगरानी स्वीकार किये जाने एवं नायब तहसीलदार ओरछा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2001 स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

5– अनावेदक म.प्र. शासन की ओर से उपस्थित शासकीय अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में बताया कि उपरोक्त प्रकरण में जो आदेश अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ द्वारा पारित किया गया है उसमें आवेदक को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया

है ऐसी स्थिति में उपरोक्त आदेश विधिवत् एवं सही होने से स्थिर रखे जाने का निवदेन किया गया।

6– उभय पक्षों के अभिभाषको द्वारा किये गये तर्को एवं उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ द्वारा विधिवत् प्रक्रिया का पालन किये बिना आदेश पारित किया है। उक्त प्रकरण में लम्बे समय पश्चात् स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्तियो का प्रयोग किया गया है नायब तहसीलदार वृत ओरछा तहसील निवाडी द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2001 को अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ द्वारा वर्ष 2005–06 में स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण में लिया गया है। इतने लम्बे समय प्रकरण को स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण को नहीं लिया जा सकता। इस संबंध में माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा 1998 (1) एम.पी विकली नोट 26 एवं 2010 आर.एन. 409, 2013 आर.एन 8 में उच्च न्यायालय द्वारा जो न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किये है। उनपर विचार किये बिना आदेश पारित किया गया है अतः अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ का आदेश उपरोक्त न्यायदृष्टांतो के परिपेक्ष्य में उचित नहीं है। उक्त वैधानिक स्थिति पर अपर आयुक्त सागर संभाग सागर एवं इस न्यायालय द्वारा विचार किये बिना कार्यवाही की जाकर जो आदेश पारित किये गये है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 608/अ–19/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 28.03.2012 तथा अपर कलेक्टर टीकमगढ द्वारा प्रकरण क्रमांक 14/स्व.निग.

/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 31.01.2007 एवं इस न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 1599/दो/2012 में पारित आदेश दिनांक 26.09.2013 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते है एवं प्रभारी तहसीलदार वृत ओरछा द्वारा प्रकरण क्रमांक 342/बी–121/2000–01 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2001 स्थिर रखा जाता है।

सदस्य